

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-18/वि.जां./2023-24/

दिनांक:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
शु.शु.नू.रु.री.कर, अलवर, श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर),
भीलवाडा, जोधपुर, कोटा, झालावाड, बून्दी, प्रतापगढ़, उदयपुर।
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, श्रीगंगानगर।

विषय:- विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना के संबंध में।

संदर्भ:- निदेशालय निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक 940 दिनांक 29.01.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित विशेष जांच प्रतिवेदनों के अनुच्छेद पूर्ण एवं सारगर्भित अनुपालना के अभाव में लम्बे समय से लम्बित चल रहे हैं। विशेष जांच/तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन के अनुच्छेदों की पूर्ण एवं सारगर्भित अनुपालना प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के अवधि में प्रेषित की जानी चाहिये थी, परन्तु आपके बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना अभी तक अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि विशेष जांच सामान्यतः प्रशासनिक विभाग के अनुरोध पर ही करवाई जाती है जिसमें गबन, हानि, वसूली, वित्तीय अनियमितताओं संबंधी गंभीर प्रकृति के अनुच्छेद होते हैं। जिनकी समय पर वांछित कार्यवाही की जाकर एवं सारगर्भित अनुपालना भिजवाई जानी चाहिए। वित्त विभाग, निदेशक, निरीक्षण विभाग तथा निदेशालय द्वारा समय-समय पर पत्र/संरण पत्र लिखे जाने के उपरान्त भी अनुच्छेदों के निस्तारण की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। इस स्थिति को वित्त विभाग स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की नियमानुसार बिन्दुवार कार्यवाही करते हुये नवीन एवं सारगर्भित पूर्ण अनुपालना (मय प्रमाणित साक्ष्य व उनकी टिप्पणी के) 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करावे अन्यथा अनुपालना प्राप्त न होने की स्थिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/शासन सचिव (वित्त) (व्यय) विभाग द्वारा लिये जाने वाले किसी भी अप्रिय निर्णय (अनुशासनात्मक कार्यवाही) के लिये आप स्वयं व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। अपूर्ण और अस्पष्ट (Vague) अनुपालना स्वीकार नहीं की जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

Sd.

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-18/वि.जां./2023-24/7068

दिनांक: 05/2/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर
- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

(A)

निदेशक (जन0स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर

परिशिष्ट-04

विशेष जांच निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपो का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	प्रतिवेदन संख्या	कुल अनुच्छेद	अनुच्छेद संख्या
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, मुख्यालय				
1.	राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी, मुख्यालय।	45/1996-97	1	2
2.	भण्डार अधिकारी (रटेशनरी), मुख्यालय।	68/1995-96	11	भाग (क)-3,4,5,6,7,8, भाग (ख)-2,3,4,5, भाग (ग)-1
		78/1995-96	1	2
3.	एसएसपीओ, मुख्यालय।	03/2003-04	2	1,2
	कुल	4	15	15
जोन-जयपुर				
4.	Block PHC कामपुरवास (झुंझुनू)	31(3)/1997-98	4	2,3,6,17(क,ख),
5.	CMHO झुंझुनू	42/1995-96	4	4,7,8,9(अ),
		31(i)/1997-98	17	1,4,5,6,8,9,11,12,18, 21,30,31,32,33, 35,38,39
6.	CMHO सीकर	66/1995-96	1	11(अ)
7.	CHC कूदन जिला सीकर	16/1998-99	3	1(क,ख,ग),3,6
8.	CMHO अलवर	18/2010-11	17	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
	कुल	7	46	46
जोन-बीकानेर				
9.	राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी जिला अस्पताल, श्रीगंगानगर	1/2017-18	3	1,2,3
10.	CHC अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	9/2002-03	15	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
11.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर	10/2002-03	22	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,21,22
	कुल	3	40	40
जोन-अजमेर				
12.	CMHO भीलवाडा	25/1995-96	1	12
		3/2013-14	3	10,13,14,3
	कुल	2	4	4
जोन-जोधपुर				
13.	CMHO जोधपुर	7/1995-96	5	2,6,7(ब),10,11
		4/2003-04	3	1,2,4
	कुल	2	8	8
जोन-कोटा				
14.	CMHO कोटा	5/1995-96	4	3,4,5,6
		4/1999-2000	9	1(1,3,4),18,24,25,26,28,34, 35,53
		3/2017-18	1	1
15.	CMHO झालावाड	5/2003-04	4	2,6,8,11
		35/1995-96	2	भाग(स)-8,11
16.	CMHO बूंदी	13/1985-86	11	9,10,11,15,17,19,20,21,22,25,27
	कुल	6	31	33
जोन-उदयपुर				
17.	CMHO उदयपुर	1सी/1985-86	10	1,2,3,4,6,7,8,9,10,12
		8/1995-96	2	11(अ,ब,स,द,क,ख,ग,घ),16
18.	CHC वल्लभनगर (उदयपुर)	7/2018-19	13	1(अ,द),2,3,4,5,6,7,8,10,12,13(13),14,16
19.	CMHO प्रतापगढ़	1ए/1985-86	7	2,6,7,8,9,11,12
	कुल	4	32	32
	महायोग	27	176	176